पत्र सं०–e.gov/SNA-SPARSH-05/2025 469 /

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

मुकेश कुमार लाल,
विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 14-01-2026

विषयः– **RBI के ई–कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि "Just-in-Time", पर आधारित SNA-SPARSH प्रक्रिया के तहत निकासी की गयी राशि के लिए डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता के संबंध में।**

प्रसंगः– वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक–F.No.1(27)/PFMS/2020, दिनांक–13.07.2023, दिनांक–07.08.2023, दिनांक–16.01.2024, दिनांक–29.05.2024, दिनांक–20.06.2024, दिनांक–04.10.2024, दिनांक–10.06.2025 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–879 दिनांक–24.01.2025, पत्रांक–5295 दिनांक–09.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों में दिये गये दिशा–निर्देशों के आलोक में अधिसूचित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों एव कालांतर में अन्य अधिसूचित स्कीमों के क्रियान्वयन हेतु RBI के e-Kuber के माध्यम से Just-in-time release आधारित प्रक्रिया SNA-SPARSH (समायोचित प्रणाली एकीकृत शीघ्र हस्तांतरण) लागू किया गया है।

2. केन्द्र सरकार द्वारा एस.एन.ए. स्पर्श (SNA-SPARSH) प्रणाली केन्द्र एवं राज्य स्तरों पर नकदी प्रबंधन में अधिक दक्षता लाने के लिए केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य सरकार को Just-in-Time पर आधारित केन्द्रांश एवं राज्यांश मद विमुक्त करने हेतु वैकल्पिक निधि प्रवाह तंत्र को अधिसूचित किया गया है। यह प्रणाली PFMS, IFMIS (CFMS 2.0) एवं RBI (e-Kuber) प्लेटफार्मों के बीच Integration पर आधारित है।

3. SNA-SPARSH के तहत कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा भुगतान हेतु अभिश्रव एवं संलग्न दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से दावा (Claim) किया जाता है, तदोपरांत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भुगतान हेतु पूर्णतः प्रमाणित विपत्र (Bill Type - SNA SPARSH) के माध्यम से भुगतान की अग्रतर कार्रवाई की जाती है।

4. अतः उपर्युक्त के आलोक में Just-in-Time पर आधारित SNA-SPARSH प्रक्रिया के तहत केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की धनराशि की निकासी के मामले में डी0सी0 विपत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवस्था सिर्फ केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए है।

विश्वासभाजन,

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव ।

ज्ञापांक– e.gov/SNA-SPARSH-05/2025 469 पटना, दिनांक 14-01-2026

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी विभाग, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/सभी वरीय कोषागार पदाधिकारी, बिहार/सभी कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव ।

ज्ञापांक– e.gov/SNA-SPARSH-05/2025 469 पटना, दिनांक 14-01-2026

प्रतिलिपि–सभी आंतरिक वित्तीय सलाहकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव ।